

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-164) अलेसे-1/ 3864-66 दिनांक:- 22-07-13

कार्यालय आदेश संख्या170...../2013-14

श्री राम कुवार पुत्र श्री राम प्रताप, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय-
पुलिस अधीक्षक, कोटा (ग्रामीण) का दिनांक 03.06.2013 को निधन हो जाने
के कारण उन्हें दिनांक 03.06.2013 से राज्य सेवा में नहीं रहना माना जाता
है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि स्व० श्री राम कुवार, सहायक
लेखाधिकारी के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील
नियम- 1958 के तहत कोई विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।


निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-164) अलेसे-1/ 3864-66 दिनांक:- 22-07-13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. पुलिस अधीक्षक, कोटा (ग्रामीण)।
2. पत्नी स्व० श्री राम कुवार, सहायक लेखाधिकारी, 32 गोपाल विहार,
कोटा को प्रेषित कर लेख है कि यदि आप मृतक राज्य कर्मचारी के
आश्रित के रूप में अनुकम्पात्मक नियुक्ति की इच्छुक हो, तो निर्धारित
प्रारूप में निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का श्रम
करें।
3. निजी सहायक निदेशक महोदया।
4. गोपनीय शाखा/ पदस्थापन शीट/ निजी पत्रावली/ गार्ड फाइल।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)